हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 3541/अका./स्थायी संबद्धता/2021 दुर्ग, दिनांक : 02/02/2021

|| संशोधित आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक **14.08.2019** में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन **स्थायी सम्बद्धता सत्र 2019–20** से प्रदान की जाती हैः–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	सांदीपनी एकेडमी, ग्राम –अछोटी (मुरमुंदा), तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	**Permanent Affiliation** **B.Ed.**	100

निर्देश :

1. उक्त पाठ्यक्रम की स्थायी संबद्धता की निरंतरता प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम हेतु वार्षिक संबद्धता शुल्क के नियमानुसार भुगतान उपरांत ही बनी रहेगी।
2. महाविद्यालय को दी गई उक्त संबद्धता NCTE से प्राप्त नवीन मान्यता एवं यदि न्यायालीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय के अधीन होंगा।
3. NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
4. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
5. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
6. शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
8. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
9. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
10. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिर्वतन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृदढ़ करेंगे।
11. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
12. उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतगर्त अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

टीपः– परिनियम–28 के अंतर्गत नियमित शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार पूरी कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 02/02/2021

पृ.क्र. 3542/अका./स्थायी संबद्धता /2021

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा. कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)